Section 116 : Appearance by authorized representative

(1) Any person who is entitled or required to appear before an officer appointed under this Act, or the Appellate Authority or the Appellate Tribunal in connection with any proceedings under this Act, may, otherwise than when required under this Act to appear personally for examination on oath or affirmation, subject to the other provisions of this section, appear by an authorised representative.

(2) For the purposes of this Act, the expression "authorised representative" shall mean a person authorised by the person referred to in sub-section (1) to appear on his behalf, being—

(a) his relative or regular employee; or

(b) an advocate who is entitled to practice in any court in India, and who has not been debarred from practicing before any court in India; or

(c) any chartered accountant, a cost accountant or a company secretary, who holds a certificate of practice and who has not been debarred from practice; or

(d) a retired officer of the Commercial Tax Department of any State Government or Union territory or of the Board who, during his service under the Government, had worked in a post not below the rank than that of a Group-B Gazetted officer for a period of not less than two years:

Provided that such officer shall not be entitled to appear before any proceedings under this Act for a period of one year from the date of his retirement or resignation; or

(e) any person who has been authorised to act as a goods and services tax practitioner on behalf of the concerned registered person.

(3) No person,—

(a) who has been dismissed or removed from Government service; or

(b) who is convicted of an offence connected with any proceedings under this Act, the State Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, or under the existing law or under any of the Acts passed by a State Legislature dealing with the imposition of taxes on sale of goods or supply of goods or services or both; or

(c) who is found guilty of misconduct by the prescribed authority;

(d) who has been adjudged as an insolvent,

shall be qualified to represent any person under sub-section (1)—

(i) for all times in case of persons referred to in clauses *(a)*, *(b)* and *(c)*; and

(ii) for the period during which the insolvency continues in the case of a person referred to in clause *(d)*.

(4) Any person who has been disqualified under the provisions of the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act shall be deemed to be disqualified under this Act.

धारा 116 : प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, अन्यथा तब के जब उससे इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, तो वह प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है और जो–

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी है; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता है, जो भारत में किसी न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष व्यवसाय करने से वर्जित नहीं किया गया है; या

(ग) कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, जो व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र धारण करता है और जिसे व्यवसाय करने से वर्जित नहीं किया गया है;

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी है, जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की रैंक की पंक्ति से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी, अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार नहीं होगा; या

(ड.) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त किया या हटाया गया हो; या

(ख) जो इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या किसी विद्यमान विधि या माल के विक्रय या माल या सेवाओं की पूर्ति या दोनों पर कर के अधिरोपण से संबंधित राज्य विधान–मण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा कदाचार का दोषी पाया गया हो; या

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,–

(i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित नहीं होगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य माल ओर सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरर्हित है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्हित समझा जाएगा।